

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग


क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम)/2014

जयपुर, दिनांक : 25 MAR 2021

आदेश

विषय: COVID-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी की संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि के संबंध में।

वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-04-2020 (Pension 05/2020) जिसके द्वारा संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी की संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि के आदेश जारी किये गये थे, में राशन डीलर एवं अधिस्वीकृत पत्रकार को भी सम्मिलित किया जाता है।



(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
10. समस्त कोषाधिकारी
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
12. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव

(Pension-01/2021)